संख्या-3/2019/01/36-2-2019-15(जी)/18

प्रेषक,

जय शकंर तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2019**

विषय- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु "पं0 दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना" के संशोधन पर अनापत्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4964/भ0नि0बो0(1619)-18, दिनांक 31-12-2018 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बोर्ड की 40वीं बैठक दिनांक 10-12-2018 के एजेण्डा के अन्य बिन्दु 7.1 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा संचालित **"पं0 दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना"** के प्रस्तर 3.1, 3.3 एवं 4.1 में संशोधन किये जाने संबंधी लिये गये निर्णय के क्रम में प्रश्नगत योजना में संशोधन पर अनापत्ति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

अतएव सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्नवत् विवरणानुसार संशोधन प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है कि योजना के संचालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 एवं संगत नियमावली 2009 का अनुपालन पात्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के हित में पूर्णत: सुनिश्चित किया जायेगा और इस हेतु वर्तमान तथा भविष्य में शासन स्तर से कोई वित्तीय/आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जायेगी :-

प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था
3.1	निर्माण श्रमिकों की जागरूकता हेतु ऐसा आयोजन जो विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों पर केन्द्रित होना चाहिए, जिसमें श्रम विभाग की पूर्ण सहभागिता हो तथा जिसमें कम से कम दो मण्डल या दो से अधिक	निर्माण श्रमिकों की जागरूकता हेतु ऐसा आयोजन जो विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों पर केन्द्रित होना चाहिए, जिसमें श्रम विभाग की पूर्ण सहभागिता हो जिसमें जनपद स्तर पर श्रमिकों के पंजीयन एवं लाभ वितरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	मण्डलों द्वारा लाभ वितरण किया जाना सम्मिलित होना चाहिए।	का कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए।
3.3 का दूसरा प्रस्तर	जागरूकता अभियान में विशेष रूप से बी0ओ0सी0 श्रमिकों पर ही ध्यान केन्द्रित होगा और किसी भी सार्वजनिक या सरकारी प्रतिनिधि के नाम और तस्वीर के साथ नहीं होगा।	जागरूकता अभियान में विशेष रूप से बी0ओ0सी0 श्रमिकों पर ही ध्यान केन्द्रित होगा और किसी भी सरकारी/जनप्रतिनिधि के नाम और तस्वीर का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
4.1	निर्माण श्रमिकों के जागरूकता हेतु किये जा रहे ऐसे आयोजनों के आकलन का मदवार परीक्षण किया जायेगा तत्पश्चात उक्त प्रस्ताव के औचित्य को सही पाये जाने पर आयोजन कराये जाने की अग्रिम स्वीकृति अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा प्रदान की जायेगी जिसके अन्तर्गत नियमानुसार वित्तीय नियमों एवं इस हेतु जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा, के औचित्य सही पाये जाने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा संबंधित क्षेत्रीय अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त को ही की जायेगी (योजना के प्रारूप के बिन्दु संख्या-01 के संबंध में)।	निर्माण श्रमिकों के जागरूकता हेतु किये जा रहे ऐसे आयोजनों के आकलन का मदवार परीक्षण किया जायेगा तत्पश्चात उक्त प्रस्ताव के औचित्य को सही पाये जाने पर आयोजन कराये जाने की अग्रिम स्वीकृति अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा प्रदान की जायेगी, जिसके अन्तर्गत नियमानुसार वित्तीय नियमों एवं इस हेतु जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के उपरांत ऐसे आयोजनों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा संबंधित क्षेत्रीय अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त को ही की जायेगी (योजना के प्रारूप के बिन्दु संख्या-01 के संबंध में)।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

जय शंकर तिवारी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-3/2019/01(1)/36-2-2019, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।

2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जय शंकर तिवारी
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।